एसडीएम के कारण नयाखेड़ा मंदिर के ट्रस्टियों की नियुक्ति नहीं

जनपद उपाध्यक्ष व ग्रामीणों ने उठाए सवाल, दी चेतावनी

नरसिंहपुर, देशबन्धु। नरसिंहपुर एसडीएम की कार्यप्रणाली के कारण आम आदमी जहां परेशान रहता है वही उनकी कार्य पद्धति हमेशा विवादस्त बनी रहती है साथ ही कई मामलों में वे नियम कानून के विपरीत कार्य कर रहे हैं और अपने से उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते आ रहे हैं। इसी क्रम में एसडीम ने ग्राम नयाखेड़ा में देव मुरलीधर मंदिर के मामले में किया है। यदि इस मामले में शीघ्र हमारी मांग को नहीं माना गया तो सक्षम न्यायालय में जाने के साथ-साथ आंदोलन भी किया जाएगा।

उक्त आरोप लगाते हुए नरसिंहपुर जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष एवं ग्राम नयाखेड़ा निवासी कन्छेदी पटैल ने बताया कि नयाखेड़ा में देव मुरलीधर मंदिर स्थित है, जिसमें 125 एकड भूमि लगी हुई है, जिन ग्रामों में भूमि लगी हुई है उनके पांच ग्रामों के नाम नयाखेडा, गरगटा, सगौनी (खुर्द), सगौनी (लकड्याउ), सगौनी (चौधरी) हैं, जिसका ट्रस्ट बना है जो देव मुरलीधर

मंदिर ट्रस्ट नयाखेडा के नाम से है उक्त ट्रस्ट वर्ष 1988 मे ट्रस्टियों की नियुक्ती हेतु उक्त पांच ग्राम के मतदाताओ द्वारा ट्रस्टियों की नियुक्ति जिला न्यायाधीश नरसिंहपुर ने की थी तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्त्र द्वारा मतदान प्रक्रिया कराकर जिसमें सात ट्रस्टियों एवं एक अध्यक्ष का चुनाव सम्पन्न कराया था, उक्त ट्रस्ट में पांच ट्रस्टियों की मृत्यू हो जाने पर पुनः ट्रस्टियों की नियुक्ति में हीला हवाली की गई जिसपर आवेदक कन्छेदी पटैल ने जिला न्यायाधीश नरसिंहपुर में ट्रस्टियों की नियुक्ति कराने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया था, आवेदक के आवेदन की सुनवाई प्रथम अपर जिला न्यायाधीश अखिलेश धाकड के समक्ष हुई जिसमें न्यायालय द्वारा 6.5.2023 को आदेश पारित करते समय निष्कर्ष सहित यह आदेश पारित किया गया था कि पंजीयक लोक न्यास श्री देव मुरलीधर मंदिर ट्रस्ट के रख-रखाव देख-रेख व प्रशासन हेतु चूंकि पांच ट्रस्टियों के पद रिक्त हो गये है। अतः उक्त रिक्त पदों की पूर्ति जिला न्यायाधीश नरसिंहपुर के विविध वाद क्र. 13/84 के निर्देश के बिन्दु क्रमांक 10 अधीन गुप्त मतदान द्वारा आम चुनाव कराकर ट्रस्ट को पुनः गठित करें, उक्तानुसार आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति सहित पंजीयक लोक न्यास को ट्रस्टीगण की नियुक्ति हेतु चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये पंजीयक लोक न्यास अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा आदेशों की अवहेलना की गई। नरसिंहपुर जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष एवं ग्राम नयाखेड़ा निवासी कन्छेदी पटैल ने बताया कि मेरे द्वारा उक्त मंदिर के ट्रस्टियों के चयन हेतु चुनाव प्रक्रिया कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, किन्तु पंजीयक लोक न्यास के द्वारा भी न्यायालय के आदेशों का पालन कराने हेतु कोई रूचि नहीं दिखाई गई इसके बाद उक्त मंदिर के ट्रस्टियों की नियुक्ति हेतु जन सुनवाई में भी आवेदन दिये किन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसके अलावा मंदिर से जुडे लोगों द्वारा भी सी.एम. हेल्प में शिकायत दर्ज कराई गई, किन्तु उसमें भी कोई निराकरण नहीं हुआ एवं न्यायालय के आदेशा अनुसार चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराकर रिक्त पदों पर उक्त मंदिर के ट्रस्टियों की नियुक्ति नहीं की गई जिससे पूरे क्षेत्रों में असंतोष का माहोल उत्पन्न है एवं इसमें लोक न्यास पंजीयक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नरसिंहपुर की कार्यप्रणाली पर संदेह उत्पन्न हो रहा है, और इस मंदिर से जुडे पांच गांवों के लोगो की आस्था एवं मंदिर की व्यवस्था के साथ खिलवाड हो रहा है। पत्रकारवार्ता में मौजूद मंदिर ट्रस्टी बेनीप्रसाद पटेल ने बताया कि अध्यक्ष की मनमानी के कारण कार्यों में पारदर्शिता नही है और एसडीम महोदय किसी की सुनने तैयार नही हैं। पत्रकार वार्ता में नयाखेड़ा क्षेत्र के सुरेंद्र पटेल, भारत भारत पटेल, संतोष श्रीवास्तव आदि ने भी शीघ्र मंदिर ट्रस्ट के गठन के लिए संपूर्ण प्रक्रिया अपनाने की मांग की और कहा कि मतदान से इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। तथा ट्रस्ट के कार्यों में पारदर्शित हो।

उत्कृष्ट विद्यालय की छात्राओं ने किया टोन घाट का भ्रमण

नरसिंहपुर, देशबन्धु। विगत दिवस उत्कृष्ट विद्यालय के कन्या छात्रावास की छात्राओं का ऐतिहासिक व प्राकृतिक महत्व को नजदीक से देखने व समझने हेतु जिले के बरहटा व टोन घाट का भ्रमण सम्पन्न हुआ।

रास्ते मे पड़ने वाले ग्राम में स्वक्षता का संदेश देते हुए शेड नदी के प्रवाह ने पत्थरो पर बनाई प्राकृतिक आकृतियों के पीछे के सिद्धांत को समझा साथ ही रास्ते मे पड़ने वाले पेड़, पौधों के उपयोग को समझा व पक्षियों के आवास को देखा। आलोक संघ ने सम्पूर्ण यात्रा में सर्वोत्कृष्ट भूमिका निभाने व अच्छा प्रदर्शन करने वाली तीन छात्राओं को सम्मानित करने की घोषणा की।

इस अवसर पर 62 छात्राओं के अलावा विद्यालय प्राचार्य जीएस पटैल, स्टाफ से रोहित पटेल, रूपेश भालसे, दीपशिखा गुप्ता, छात्रावास अधीक्षक श्रीमति दिव्यश्री साहू, आलोक संघ से हरनाम सिंह, प्रह्लाद सिंह, देवी सिंह, कोमल सिंह पटेल, श्रीमती लक्ष्मी पटैल, बरहटा से जेपी कोरी, शरद गुप्ता सहित अन्य सहयोगी उपस्थित रहे।

सार-समाचार

विश्व एड्स दिवस पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित

नरसिंहपुर, देशबन्धु। जन शिक्षण संस्थान नरसिंहपुर द्वारा विश्व एड्स दिवस प्रशिक्षण केन्द्र निवारी में मनाया गया । कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी गोपाल चौरसिया उपस्थित रहे । इस अवसर पर प्रशिणार्थियों को प्रमाण पत्र का भी वितरण किया गया । कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोपाल चौरसिया ने बताया कि समाज में एचआईवी/ एड्स के प्रति सभी को जागरूक करना होगा । विशेष तौर पर युवाओं और महिलाओं को जागरूक करना आवश्यक है । संस्थान के कार्यक्रम अधिकारी सुमित दुबे ने बताया कि एचआईवी पॉजिटिव मरीज की संख्या चिंता जनक है। इस गंभीर बीमारी को रोकने के लिए सामूहिक जागरूकता की जरूरत है। इस हेतु शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत सुविधा प्रदान की जा रही हैं इसमें निशुल्क जांच परामर्श एवं दवाई दी जाती हैं। सहायक कार्यक्रम अधिकारी श्रीमति पूनम पाली ने कहा कि एड्स आज के समाज में काफी भयानक व भयावह है इसके लिए सुरक्षा ही उपचार है सुरक्षित यौन संबंधों के लिए जागरुकता और सतर्कता नहीं अपनाई गई तो समाज के सामने बड़ी परेशानी आएगी।कार्यक्रम का संचालन लेखापाल वंदना पटैल ने किया व आभार सहायक कार्यक्रम अधिकारी रोशन पटैल ने किया कार्यक्रम मे दीक्षा मेहरा, मुकेश कुमार भारिया व अनुदेशक पूजा चौरसिया उपस्थित रहे ।

पलेरा के स्कूल में बैगलेस डे पर खेल स्पर्धाएं आयोजित

गाडरवारा, देशबन्धु। गत दिवस क्षेत्र के चीचली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पलेरा की एकीकृत शासकीय न माध्यमिक शाला मे राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार बैगलेस डे पर विभिन्न स्पर्धाओ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 1 से 8 वी तक के बच्चों ने चम्मच दौड़,बोरा दौड़, मेंढक दौड़,पीछे चलने वाली दौड़,कुर्सी दौड़, लंगड़ी दौड़ आदि खेलों में बड़े उत्साह से भाग लिया। शाला के प्रधान पाठक मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि खेल खेलने से हमारा शारीरिक व्यायाम होता है एवं बच्चों में आपनी समझ व भाईचारे की भावना का विकास होता है। जीवन में खेलों का बड़ा ही महत्व है। यह छात्रों को ध्यान एवं शैक्षणिक एकाग्रता में सुधार के लिए अत्यंत आवश्यक है। शाला की खेल गतिविधियो को किशोर विश्वकर्मा द्वारा पूरा किया गया। इस अवसर पर प्रमिला श्रीवास्तव,अतिथि शिक्षक देवकिशन मेहरा एवं अंजलि कौरव उपस्थित रहे।

नियुक्ति दिन से वरिष्ठता प्रदान किए जाने हेतु अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन

नरसिंहपुर, देशबन्धु। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा नरसिंहपुर द्वारा जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण हेतु ज्ञापन सौंपा। जिसमें नियुक्ति दिनॉक से वरिष्ठता प्रदान किए जाने । 1994 के बाद से मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग में कार्यरत नियमित शिक्षक के पद यथा सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, व्याख्याता के पद समाप्त कर उनके स्थान पर स्थानीय निकाय शहरी क्षेत्रों में यथा नगरपालिका,नगरपरिषद,नगरपंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1995 से 1998 तक शिक्षाकर्मी,गुरुजी, अनुदेशक,पर्यवेक्षक के रूप में तदुपरांत 2001 से संविदा शाला शिक्षक के रूप में सृजित कर अल्पवेतनमान और अल्प सुविधाएँ प्रदान करते हुए नवीन नियुक्तियां की गई थी. कालांतर में दिनाँक 01/04/2007 में इन सभी केडर के स्थान पर एक नया केडर अध्यापक संवर्ग में परिवर्तित कर कुछ अतिरिक्त सुविधाएं जैसे वेतनमान, डीए, एनपीएस कटोती, स्थानांतरण और पूर्व में नियुक्ति दिनॉक से की गई सेवावधि की गणना को मान्य करते हुए संविलियन किया।

संध्या नेमा का निधन

करकबेल, देशबन्धु। स्व. लालचंद नेमा की धर्मपत्नी संध्या नेमा का 2 दिसम्बर 2024 देवलोक गमन हो गया है। आप अभिषेक नेमा की माताजी है । आपका अंतिम संस्कार कार्यक्रम करकबेल मुक्तिधाम किया गया। सकल नेमा समाज एवं नेमा दर्पण परिवार की ओर से सादर श्रद्धा सुमन अर्पित है।

एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा

गाडरवारा, देशबन्धु। महाराणा प्रताप शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एवं कॉलेज के छात्रों ने रानी दुर्गावती विश्व विद्यालय के नाम एक ज्ञापन कॉलेज प्राचार्य को देकर कॉलेज बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नेता जुलूस की शक्ल मे नारे लगाते हुए कॉलेज पहुचे ओर छात्रों की मांगों के बारे कॉलेज प्रबंधन से चर्चा की।

कॉलेज प्रबंधन को दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया है कि शासकीय महाराणा प्रताप विद्यालय में विषय बीकॉम फर्स्ट ईयर वित्तीय लेखांकन विषय के सभी छात्रों को अनुत्तीर्ण कर दिया है। जिस कारण से छात्र बहुत परेशान थे छात्रों की इस समस्या को लेकर एनएसयूआई गाडरवारा महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज गाडरवारा के बीकॉम फर्स्ट ईयर के 366 की टीम ने सभी छात्रों के साथ जबलपुर यूनिवर्सिटी पहुंचकर ज्ञापन दिया और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन कंट्रोलर प्रोफेसर डॉ. रश्मि टंडन मैडम द्वारा कहा गया था कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के छात्र-छात्राओं के परीक्षा परिणाम विषय वित्तीय लेखांकन की उत्तर पुस्तिका लगभग 366 विद्यार्थियों पुनः अवलोकन किया जायगा शासकीय महाराणा प्रताप महाविद्यालय गाडरवारा के प्रोफेसर डॉक्टर एन पी वर्मा को आदेश दिया गया कि आपके द्वारा वित्तीय लेखांकन विषय संबंधी पुनः मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों की लिस्ट जारी की जाए। लेकिन महाविद्यालय कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है इसीलिए सभी छात्र छात्राएं एनएसयूआई, संगठन के माध्यम से तालाबंदी कर जंगी प्रदर्शन करेंगे। विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उस पर ध्यान देते हुए महाविद्यालय कार्यवाही करें जिससे सभी विद्यार्थी इस समस्या से निजात पा सके। महाविद्यालय द्वारा अगर तीन दिवस के अंदर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं होती तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एवं समस्त छात्र उग्र आंदोलन के लिए बध्य रहेंगे जिसकी जवाबदारी कॉलेज प्रशासन की होगी । विरोध प्रदर्शन एवं ज्ञापन देते समय राजुल शेखर जायसवाल, राजदीप दुबे, शुभम कौरव, निकेत पटेल, चंद्रकांत साहू, कौशिक काबरा, ध्रुव राडवे, आदित्य श्रीवास, अनुराग दुबे, रोहित गुर्जर, दिनेश गुर्जर, अमन शुक्ला उपस्थित रहे।

लापरवाही बरतने पर एक पटवारी निलंबित, छह को नोटिस

नरसिंहपुर, देशबन्धु। कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने निर्देश दिये कि पटवारी राजस्व संबंधी कार्यों को बेहतर तरीके से सम्पादित करें।

राजस्व महाअभियान अन्तर्गत कार्यों को प्राथमिकता पर रखें। प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही नहीं हो।राज्य शासन का यह महत्वाकांक्षी अभियान है। नागरिकों की राजस्व संबंधी समस्याओं और उनके प्रकरणों का समाधान तत्परता से करें। कलेक्टर पटले ने सोमवार को जनपद पंचायत गोटेगांव में राजस्व महाअभियान 3.0 के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व न्यायालयों- आरसीएमएस में लंबित प्रकरणों, नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती व सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण, नये राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज करना नक्शे पर तरमीम आदि की गहन समीक्षा की।

उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग के राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करने के लिए राजस्व महाअभियान 3.0 का आयोजन 15 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2024 तक चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में कलेक्टर ने राजस्व महाअभियान की समीक्षा में पाया कि इसमें आशा अनुरूप प्रगति नहीं है। कार्यों में लापरवाही बरतने और हल्के पर उपस्थित नहीं होने पर 6 पटवारियों को नोटिस जारी करने के निदेश दिये हैं।

उन्होंने ग्राम पंचायत रीछा के पटवारी आशीष ठाकुर को निलंबित करने के निर्देश दिये। वहीं कलेक्टर ने कानूनगो के कार्य में लापरवाही बरतने पर महेन्द्र कुमार चंदानिया को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। बैठक में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी श्रीमती देवंती परते, तहसीलदार,नायब तहसीलदार,राजस्व निरीक्षक और पटवारी मौजूद थे।

चित्रकला प्रतियोगिता में प्रियंका मेहरा को मिला प्रथम स्थान

नरसिंहपुर, देशबन्धु। संविधान दिवस के अवसर पर विद्यालय, कॉलेज व अनेक विभागों द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के अंतर्गत जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती मृगाखी डेका के कुशल निर्देशन में मध्यप्रदेश पुलिस जिला नरसिंहपुर द्वारा मेरा देश मेरा गर्व एवं कर्म ही पूजा है विषय पर स्कूली छात्र-छात्राओं के लिये चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन संविधान दिवस के अवसर 26 नवंबर को प्रातः 11 बजे से पुलिस लाइन में संपन्न हुआ। जिसमें सी.एम.राइज विद्यालय नरसिंहपुर की प्रतिभाशाली छात्रा कुमारी प्रियंका मेहरा ने जिला में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुये 1500 रूपये का नगद पुरूष्कार एवं प्रशस्ति पत्र जिला पुलिस अधीक्षक के हस्ते प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। छात्रा की इस उपलब्धि पर विद्यालय प्राचार्य प्रभात कुमार मिश्रा सहित समस्त शिक्षकों ने शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद दिया।

32 गांवों के गन्ना किसानों की मांग, 14 दिन में हो भुगतान

गन्ना उत्पादक किसान संघ की बैठक

गाडरवारा, देशबन्धु। गन्ना उत्पादक किसान संघ जिला नरसिंहपुर की बैठक एडवोकेट एन एस पटेल की अध्यक्षता में विगत रविवार को जवाहर कृषि उपज मंडी गाडरवारा में सम्पन्न हुई, जिसमें करेली शुगर मिल के किसानों सहित 32गांव के सैकड़ों किसानों ने भागीदारी कर अपने अपने सुझाव दिए। बैठक में गन्ना नीति पर सरकारों ने जो संशोधन किए उन पर गन्ना उत्पादक किसान संघ के जगदीश पटेल ने बताया कि सरकारों द्वारा गन्ना प्रदाय एवं क्रय नियम आदेश की धारा 1953 में गन्ना नीति बनने के समय 8.5 प्रतिशत रिकवरी से शुरुआत की थी जो तत्कालीन सरकारों ने 2009में 9.5और अब 10.25रिकवरी पर एफ आर पी रेट तय करने के निर्णय लिए हैं जिससे किसानो को गन्ना की खेती घाटे का सौदा हो रही है इसके अलावा केंद्र सरकार ने गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 से धारा 5 ए को हटा दिया है जिसके तहत किसानों को चीनी मिलों को प्राप्त होने वाले अर्जित लाभ से अतिरिक्त मूल्य मिलने का प्रावधान था। ओर राज्य सरकारों को राज्य परामर्श मूल्य (एस ए पी) घोषित कर किसानों के हितों की रक्षा करना था जिसे केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया। सरकारों द्वारा किसानों के लिए फायदेमंद प्रावधानों को हटाकर मिलो के पक्ष में निर्णय ले रही हैं जिन्हें तत्काल रोककर गन्ना किसानों के हित में लागू करना चाहिए। सरकार ने चीनी नियंत्रण आदेश 2024सुधार के नाम पर 22अगस्त 2024को जारी किया गया है जो मिलों एवं किसानों के हितों के खिलाफ है, जिसमें शुगर मिलो और प्रशासनिक स्तर पर दावे आपत्ति मांगे गए हैं किसानों से कोई राय नहीं ली गई। बैठक में किसानों ने जिले की गन्ना मिलो द्वारा मनमर्जी के रेट थोपे जाना ,शुगर मिलो द्वारा गन्ना उत्पादन और मूल्य सहित गन्ना किसानों के सामने आ रही समस्याओं पर विचार कर सर्वसम्मति से निम्न मांगो को चिन्हांकित करते हुए निराकरण कराए जाने चरणबद्ध तरीके से संघर्ष की रूपरेखा बनाई गई।

जिले सहकारी सुगर मिल आनिवार्य रूप से खोली जावे क्योंकि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक 65प्रतिशत गन्ना उत्पादन जिले में होता है। मध्य प्रदेश गन्ना प्रदाय एवं क्रय नियमन अधिनियम की धारा 1953की

धारा 20(1) के प्रावधान अनुसार रिकवरी अनुसार घोषित रेट दिया जावे जो 9.25 रिकवरी के आधार पर हो।जिसे गन्ना उत्पादक किसान पाने के अधिकारी हैं। चीनी नियंत्रण आदेश 2024वापिस लिया जाए। गन्ना नियंत्रण आदेश 1966की धारा 5ए को पुनः लागू की जावे।नरसिंहपुर जिले में गन्ना किसानों को शुरुआत में 400रु प्रति क्विंटल रेट दिया जाय क्योंकि प्रदेश की बुरहानपुर शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों को 400रु प्रति क्विंटल मूल्य दिया जा रहा है जबकि बुरहानपुर क्षेत्र की रिकवरी रेट से नरसिंहपुर जिले का रिकवरी रेट ज्यादा है। प्रत्येक किसान को गन्ने का भुगतान 14दिन के अन्दर आनिवार्य किया जावे, बिलंब होने पर ब्याज सहित भुगतान किया जावे, परिवहन एवं मजदूरों का भुगतान तत्काल किया जावे।

7ट्रमिल द्वारा मजदूरों से गन्ना जलाकर लिया जाता है तो तय रेट से 30रु अतिरिक्त रेट दिया जावे। गन्ना मिलो द्वारा सबसे पहले रक्षित क्षेत्र का गन्ना उठाने के बाद ही बाहरी क्षेत्र का गन्ना लिया जावे। रक्षित क्षेत्र के किसानों को लेबर या हार्वेस्टर एवं परिवहन व्यवस्था मिलो द्वारा की जावे। प्रत्येक सुगर मिलो द्वारा रक्षित क्षेत्र की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए एवं जिन किसानों का गन्ना कट रहा है प्रति सप्ताह उनकी सूची चस्पा की जावे । सभी मिलों में गन्ना उत्पादक किसान संघ के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रशासकीय अधिकारियों की उपस्थिति में प्रति सप्ताह आकस्मिक तोल कांटो को चेक कराया जाए। शक्ति शुगर मिल कौड़ियां द्वारा विगत सीजन का 20रु प्रति क्विंटल किसानों का भुगतान तत्काल किया जावे।

11-कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर एवं गन्ना अनुसन्धान केंद्र बोहानी में तत्काल लेब शुरु किए जावें जिसमें किसान गन्ने की मौजूदा रिकवरी चेक करा सकें। रिकवरी चेक करने जिला स्तर पर एक टीम गठित की जावे जो प्रति सप्ताह प्रत्यक मिल की जांच गन्ना उत्पादक किसानों के प्रतिनिधियों के साथ सैंपलिंग करे।

उक्त मांगो के निराकरण के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि देश ओर प्रदेश में संसद और विधानसभाओं के अन्दर सरकारें नियम बनाती हैंऔर उन्हें प्रशासन से लागू कराती हैं इसलिए हमारे जिले के चुने हुए केबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, उदय प्रताप सिंह, विधायक मुलायम सिंह, विधायक एवं क्षेत्रीय सांसद चौधरी दर्शन सिंह से समय लेकर चर्चा कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। यदि कोई हल नहीं निकलता है तो गन्ना उत्पादक किसान संघ उग्र आंदोलन की रूपरेखा बनाने मजबूर होगा।

बैठक को मुख्य रूप से संबोधन करने बालों में पवन पटेल, राजाराम पटेल, प्रतीक शर्मा, चौधरी आनंद कौरव, रघुवर पटेल, लालसाहब वर्मा, एड वृन्दावन राजपूत, बृजमोहन कौरव, राहुल सिंह राजपूत शामिल थे। इसके बाद सभी उपस्थित गन्ना किसानों ने आपस में चर्चा कर उक्त समस्याएं चिन्हांकित कर एक प्रतिनिधि मंडल माननीयों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर निराकरण की मांग करेगा। अंत में बैठक की अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट एन एस पटेल ने गन्ना किसानों के हित में बैठक की सफलता ओर किसानों की उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त किया। संचालन जगदीश पटेल ने किया।

किसानों एवं कृषि विस्तार अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित

नरसिंहपुर, देशबन्धु। कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले के मार्गदर्शन में केन्द्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केन्द्र इन्दौर द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय कीटनाशक निगरानी प्रणाली- एनपीएसएस प्रशिक्षण का आयोजन सोमवार को किया गया। प्रशिक्षण के दौरान जिले के 10 प्रगतिशील किसान एवं कृषि विस्तार अधिकारी उपस्थित में एनपीएसएस मोबाइल एप व इसके लाभ और आईपीएम एप पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान सह वनस्पति संरक्षण अधिकारी अवेन्द्र कुमार यादव, सहायक वनस्पति संरक्षण अधिकारी हेमन्त कुमार आर्य, प्रभारी अनु. कृषि अधिकारी नरसिंहपुर श्रीमति शिल्पी नेमा, सहायक संचालक कृषि व नोडल अधिकारी एनपीएसएस श्रीमती सुनीता मवासे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्रीमती उषा पचौरी व कृषि विस्तार अधिकारी और प्रगतिशील कृषक मौजूद थे।

मार्केट वॉच गाडरवारा

क्लासिफाईड विज्ञापन के लिए अनिल गुप्ता गाडरवारा से संपर्क करें। मोबाईल - 9424328221

सोसायटी फॉर अवेयरनेस एण्ड रूरल एडवांसमेंट, संबद्ध अध्ययन केन्द्र

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल

Sara Group of Institutions

पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
- प्राथमिक चिकित्सा उपचार
- आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण
- योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा
- फैशन डिजायनिंग
- संगणक अनुप्रयोग डीसीए

प्रवेश प्रारंभ

एसआर एन्क्लेव, जमाड़ा रोड, महाराणा प्रताप वार्ड, गाडरवारा जिला-नरसिंहपुर, फोन-8989167883

स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
- आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण
- आहार एवं जनस्वास्थ्य पोषण
- सायबर कानून
- जर्नलिज्म एवं मास कम्यूनिकेशन
- संगणक अनुप्रयोग पीजीडीसीए